ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	18-12-25 वकालत फरीकेन हजरात अधिवक्ता वादी ने साक्ष्य वादी में गवाह शांतिलाल पगारिया का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया व पेश किये वाहिनान पेश किये अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया कि गवाह बीमार है इसलिए अतः न्यायालय से उपस्थित नहीं है अतः श्री साक्ष्य वादी में अधिवक्ता के समय चाहा अतिम अवसर दिया जाता है आगामी पेशी पर गवाह को आवश्यक रूप से उपस्थित रखें पश्चात वादि साक्ष्य वादी बंद किया जिरह 3-1-25 को पेश हो अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-3 अजमेर	
	12 वकालत फरीकेन हजरात तक वादी गवाह उपस्थित नहीं / अधिवक्ता वादी द्वारा कोई दरखास्त नहीं / अधिवक्ता वादी द्वारा धारा 151 CPC व आदेश 26R1 व धारा 75 CPC वारन्ट गिरफ्तारी पर तामिल तकदीक करने हेतु पेश किया जिसकी तकमील हिलाफी गई। जिस पर अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा हेतु तलब चाहिए। आवश्यक रूप से पक्षकार को पत्रावली बाद पश्चात जवाब दावा दिनांक 20/12/25 को पेश हो अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-3 अजमेर	